SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (पंजीकृत)

(Regd Under the Indian Trust Act 1982 of the Govt. of India & Govt. of U.P.)
Regd. in Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India
Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Tehsil Road, Opp. Gali No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

National President
Adv. Nitin Yadav

Sr. National General Secretary
Prof. (Dr.) Anand Singh

National General Secretary
Prof. (Dr.) Rajeev Gupta

Sr. National Vice President
Prof. (Dr.) Nidhi Shukla

National Vice President
Prof. (Dr.) Anil Sharma

National Secretary/Treasurer
Prof. (Dr.) Anshu Bansal

State President
Adv. R.P. Khaitan (U.P.)
Dr. R.P. Verma (Punjab)
Adv. G.R. Sharvan (Karnataka)
Naved Chopra (M.P.)
Rajesh Wankhede (MH.)

Vice President (U.P.)
Prof. (Dr.) Shivpal Singh
Sharad Aggarwal
Ankur Tewatia

Secretary (U.P.)
Monika Chauhan
Dr. Ajay Kumar
Rajeev Chauhan
Dr. Anil Chandel
Mayank Aggarwal
Pradeep Yadav

Executive Board Member
Dr. Gaurav Varshney
Deepak Aggarwal
Prof. (Dr.) Harish Vaish
Dr. Shikha Kaushik
Dr. Vineeta Sharma
Vishal
Vipul Jain
Manoj Bhardwaj
Jitanshu
Manoj Bhati
Surendra Bhargav
Lalit Yadav

Ref. No:-2025/12/SFCF/141 **Date:-**30.12.2025

रिमाइंडर-I

सेवा में,

1. माननीय कुलाधिपति महोदय,
   चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
   राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ

2. प्रमुख सचिव महोदय,
   उच्च शिक्षा विभाग,
   उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय : नई शिक्षा नीति–2020 एवं यूजीसी विनियमों के प्रतिकूल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा प्राइवेट (वार्षिक) परीक्षा प्रणाली से स्नातक/परास्नातक डिग्रियाँ प्रदान किये जाने के संबंध में हस्तक्षेप हेतु।

महोदय,

सादर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शासन स्तर से निरंतर निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद **चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ** द्वारा वर्ष 2021 के पश्चात भी **"प्राइवेट परीक्षा"** के नाम पर वार्षिक प्रणाली में डिग्रियाँ प्रदान की जा रही हैं, जो प्रथम दृष्टया नई शिक्षा नीति–2020, यूजीसी विनियमों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के विपरीत है।

1. नई शिक्षा नीति–2020 का उल्लंघन

NEP-2020, पैरा 11.5 एवं 11.6

- उच्च शिक्षा में सेमेस्टर आधारित, क्रेडिट प्रणाली, सतत आंतरिक मूल्यांकन एवं समग्र आकलन को अनिवार्य करता है।
- प्राइवेट (वार्षिक) परीक्षा प्रणाली इन सभी अनिवार्य घटकों से पूर्णतः रहित है।

Scanned with OKEN Scanner

NEP-2020, पैरा 4.34 एवं 4.37

- "High & stakes annual examination system" से हटकर निरंतर एवं बहु–आयामी मूल्यांकन लागू करने का निर्देश देती है।
- एकमात्र वार्षिक परीक्षा के आधार पर डिग्री प्रदान करना नीति की स्पष्ट अवहेलना है।

NEP-2020, पैरा 10.4 (Equity & Justice)

- समान पाठ्यक्रम में छात्रों के साथ समान शैक्षणिक मानक लागू करने की बाध्यता तय करता है।
- रेगुलर छात्रों पर दो सेमेस्टर, आंतरिक मूल्यांकन एवं पूर्ण सत्रीय अध्ययन लागू है, जबकि प्राइवेट छात्रों को केवल एक वार्षिक परीक्षा, यह स्पष्ट भेदभाव है।

2. यूजीसी विनियमों एवं अधिनियम का उल्लंघन

UGC Act, 1956 की धारा 22

- विश्वविद्यालय केवल वही डिग्री प्रदान कर सकता है जो यू0जी0सी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
- **"प्राइवेट परीक्षा"** नामक कोई पृथक डिग्री–मोड यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।

UGC Minimum Standards of Instruction for the Grant of UG Degree Regulations, 2020

- न्यूनतम शिक्षण अवधि
- निर्धारित Instructional Hours
- Internal + End & Semester Assessment को अनिवार्य करते हैं।
- **प्राइवेट (वार्षिक) परीक्षा इन न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं करती।**

UGC (Credit Framework for UG Programmes), 2022

- सेमेस्टर–वार क्रेडिट अर्जन
- मूल्यांकन आधारित संरचना
- **प्राइवेट परीक्षा इस ढांचे के बाहर है।**

30-12-25 30/12

Scanned with OKEN Scanner

UGC (ODL & Online Programmes) Regulation, 2020/2023 डिग्री केवल

- Regular Mode या
- UGC अनुमोदित ODL Online Mode में ही अनुमन्य है।
- **"प्राइवेट (वार्षिक)" मोड का कहीं उल्लेख नहीं है।**

3. विश्वविद्यालय की मनमानी एवं राजस्व–प्रधान निर्णय

यह अत्यंत चिंताजनक है कि–

- विश्वविद्यालय द्वारा प्राइवेट छात्रों से केवल 2–3 माह में परीक्षा फॉर्म भरवाकर सीधे परीक्षा कराई जा रही है, बिना शिक्षण, बिना आंतरिक मूल्यांकन, जबकि रेगुलर छात्रों पर पूर्ण शैक्षणिक दायित्व थोपे गए हैं।
- यह स्थिति छात्रों के भविष्य, डिग्री की वैधता एवं राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए गंभीर खतरा है।

यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के पूर्व क्षेत्र में गठित माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर द्वारा स्नातक स्तर पर प्राइवेट डिग्री पूर्णतः बंद की जा चुकी है, जबकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा इसे जारी रखना असमान व मनमाना दृष्टिकोण दर्शाता है।

4. मूल विधिक प्रश्न

- वर्ष 2021 के बाद प्राइवेट (वार्षिक) डिग्री को वैध ठहराने वाला यूजीसी का कौन–सा आदेश/नोटिफिकेशन है?
- यदि ऐसा कोई आदेश है, तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया?
- **जब कोई पाठ्यक्रम ODL में अनुमन्य नहीं, तो वह प्राइवेट मोड में किस विधिक आधार पर वैध है?**
- समान डिग्री के लिए अलग–अलग मूल्यांकन मानक किस नियम के अंतर्गत अनुमन्य हैं?

SFCF
SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

5. अतः आपसे ससम्मान अनुरोध है कि–

30-12-25 30/12

Scanned with OKEN Scanner

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से इस विषय में तत्काल स्पष्टीकरण तलब किया जाए, नई शिक्षा नीति–2020 के विपरीत संचालित प्राइवेट (वार्षिक) परीक्षा प्रणाली पर तत्काल रोक लगाई जाए,

समस्त राज्य विश्वविद्यालयों हेतु स्पष्ट शासनादेश जारी किया जाए कि

- 2021 के पश्चात कोई भी डिग्री· केवल UGC अनुमोदित Regular ODL Online Mode में ही प्रदान की जा सकती है,
- अन्यथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले अमान्य डिग्री, छात्र मुकदमे एवं न्यायिक विवाद की समस्त जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय पर निर्धारित की जाए।

यदि शासन स्तर से इस विषय में शीघ्र हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो इसे NEP-2020 एवं UGC Act का जानबूझकर उल्लंघन मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेने का विकल्प खुला रहेगा।

सादर।

संलग्नक- पूर्व पत्र 15.12.25 पत्रांक-136

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. **माननीय कुलपति,** चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
2. **सचिव,** विवि0 अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
3. **सचिव,** मानव संसाधन मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग), नई दिल्ली।

20/12/25

(एड0 नितिन यादव)
राष्ट्रीय अध्यक्ष

20/12

प्रो0 (डॉ0) निधि शुक्ला
वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

प्रो0 (डॉ0) आनन्द सिंह
वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ
SFCF
SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

Scanned with OKEN Scanner